

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प1(11)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 22-10-19

--:अधिसूचना:-

इस विभाग की संमसख्यक अधिसूचना दिनांक 15.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 सपठित धारा 12 एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा कॉलम संख्या-2 में उल्लेखित सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को कॉलम संख्या-3 में उल्लेखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में क्रमोन्नत करते हुए पीठासीन अधिकारी के पदस्थापन की तिथि से स्थापित करती है:-

क्र.सं	न्यायालय का पूर्व नाम	क्रमोन्नत न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4	5
1.	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंगला	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंगला	चित्तोड़गढ़	इंगला

राज्यपाल के आदेश से

22/10/19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/23/2017/...1508

Dated: 22/10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. District & Sessions Judge, Chittorgarh.
3. Chief Judicial Magistrate, Chittorgarh.
4. Concerned Court.
5. A.O.J. Confidential/ RJS(Estt)/ SC (Estt)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ Computer cell with a direction to upload the same on High Court website).

23/10/19

REGISTRAR (RULES)